न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3192–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 05–08–2015 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल, प्रकरण कमांक 148/अपील/2013–14.

....

इण्डिया लैण्ड डेवलपमेंट प्रा.लि.
द्वारा प्रबंध संचालक
कार्यालय 216–ए, जोन–1,
एम.पी.नगर, भोपाल

.... आवेदक

विरूद्ध

श्री आशुतोष राजवैद्य
आत्मज श्री आर0के0राजवैद्य
निवासी 215 रजत नगर बी0एच0ई0एल0 एरिया,
भोपाल

.... अनावेदक

....

श्री अतुल धारीवाल, अभिभाषक–आवेदक
श्री एच0एल0झा, अभिभाषक–अनावेदक

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/12/2015 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–08–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल की नामान्तरण पंजी कमांक 17 में पारित आदेश दिनांक 30–7–2012 के विरूद्ध प्रथम अपील दिनांक 12–02–2014 को लगभग डेढ वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई । चूँकि अपील अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई थी, इसलिये अनावेदक द्वारा अपील के साथ अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 148/अपील/2013–14 दर्ज कर दिनांक 05–08–2015 को अंतरिम आदेश पारित किया जाकर विलम्ब क्षमा करते हुये अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक वर्ष 2006 में हुये आवेदक के पक्ष में नामान्तरण आदेश में हस्तक्षेप कर रहा है, जो कि अत्यधिक विलम्बित कार्यवाही है । यह भी कहा गया कि उभयपक्ष की पृथक पृथक भूमियॉ हैं और उनके कब्जे भी पृथक पृथक है, ऐसी स्थिति में अनावेदक द्वारा आवेदक के नामान्तरण आदेश को निरस्त कराये जाने का प्रयास उचित कार्यवाही नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि जिस सोसायटी द्वारा भूमि का विकय किया गया है उसके पास आज भी 40 डिसमिल से अधिक भूमि है, परन्तु अनावेदक द्वारा आवेदक का नामान्तरण आदेश निरस्त कराना चाहता है, और सोसायटी से भूमि की मॉग नहीं कर रहा है, जबकि उन्हें सोसायटी से भूमि की मॉग करना चाहिये । अनुविभागीय अधिकारी को विलम्ब क्षमा करने में यह देखना चाहिये कि विलम्ब क्षमा करने का कोई कारण है अथवा नहीं, और प्रकरण प्रथमदृष्टया अनावेदक के पक्ष में है अथवा नहीं । चूँकि उभय पक्ष की भूमियॉ पृथक पृथक है, ऐसी स्थिति में आवेदक के पक्ष में हुये नामान्तरण से अनावेदक प्रभावित पक्षकार नहीं है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में पूर्णत अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि वर्ष 2006 में आवेदक का नामान्तरण हुआ है और वर्ष 2010 तक अनावेदक द्वारा किसी प्रकार

की कोई कार्यवाही उक्त नामान्तरण के विरूद्ध नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय में कभी भी नामान्तरण का कोई भी आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 109 व 110 के अन्तर्गत 6 माह की अवधि में अनावेदक को नामान्तरण कराना था, परन्तु उनके द्वारा वर्ष 1995 में भूमियॉ कय करने के पश्चात् 20 वर्ष बाद नामान्तरण की कार्यवाही की जा रही है, जो कि अत्यधिक विलम्बित कार्यवाही है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4 / अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदक ने प्रश्नाधीन भूमि दानिश गृह निर्माण सहकारी संस्था भोपाल से पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 23–09–1995 से कय की गई है, तब से अनावेदक प्रश्नाधीन भूमि का मालिक एवं स्वामी की हैसियत से काबिज होकर कृषि कार्य करता आ रहा है ।

(2) आवेदक का यह तर्क उचित नहीं है कि उभयपक्ष की भूमियॉ पृथक पृथक हैं, जबकि वास्तव में मौके पर नवीन सर्वे कमांक 3 / 1, 3 / 2 व 4 / 1 का ही विवाद है, जिसका अवैधानिक तरीके से आवेदक के पक्ष में नामान्तरण हो गया है। अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि दिनांक 23–9–1995 को कय की गई है, जबकि आवेदक द्वारा दिनांक 25–9–2009 को बाद में भूमि कय की गई है, इसलिये पूर्व केता ही प्रश्नाधीन भूमि का मालिक व स्वामी होता है, ऐसी स्थिति में अनावेदक प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में हितबद्ध पक्षकार है ।

(3) अनावेदक द्वारा नामान्तरण हेतु दिनांक 8–6–2009 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस पर तहसीलदार द्वारा नामान्तरण आदेश पारित नहीं करते हुये आवेदक की ओर से दिनांक 10–7–2012 को प्रस्तुत आवेदन पर नामान्तरण आदेश पारित करने में पूर्णतः अवैधानिक कार्यवाही की गई है और नामान्तरण आदेश में विधिक प्रकिया का पालन भी नहीं किया गया है ।

(4) अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जब अनावेदक द्वारा दिनांक 8–6–2009 को नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था एवं प्रकरण के विचारण काल में ही दिनांक 10–3–2010 को आदेश पारित किया गया कि दानिश गृह निर्माण सहकारी समिति के भूमि के अन्तरण हेतु राष्ट्रीय सहकारी समिति की अनुमति अनिवार्य है और कलेक्टर द्वारा आदेशित किया गया कि आवेदक अनुमति प्राप्त करें एवं कलेक्टर द्वारा बिना अनापत्ति प्रमाणपत्र के नामान्तरण पर रोक लगा दी गई, तब अनावेदक को तहसीलदार के आदेश की जानकारी हुई, और उसके द्वारा तत्काल आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त कर दिनांक 7–2–2014 को अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई, जो कि जानकारी के दिनांक से समय सीमा में थी । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण का गुणदोष के आधार पर निराकरण करने के लिये अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं की गई है ।

(5) यदि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण किया जाता है, तो इससे आवेदक को कोई हानि होना परिलक्षित नहीं होती है और आवेदक अपने पक्ष समर्थन व साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक का नामान्तरण आवेदन पत्र लंबित रहते तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक का नामान्तरण स्वीकृत कर दिया गया है, जबकि अनावेदक का नामान्तरण आवेदन पत्र पूर्व का है । स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आवेदक के पक्ष में पारित नामान्तरण आदेश वैधानिक एवं उचित नहीं है । तहसीलदार के नामान्तरण आदेश के पुनर्विलोकन की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी से मागे जाने पर उनके द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति भी नहीं दी गई है। अतः अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से अनावेदक द्वारा अपील समय सीमा में प्रस्तुत की गई है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत

अपील समय सीमा में मान्य करने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है, इसलिये उनके आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–08–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की ज़ाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर